6/10/..

पत्रावली वादी उपस्थित। आज वादी [illegible] किया
जाता है। निम्नलिखित निर्णय प्रकरण के निस्तारणार्थ
शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली [illegible] मुकदमा
होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–51 / 23 तारीख रजु:–18.12.2023

उनवान

1. कुतुबदीन आयु 60 साल
2. इकरामुदीन आयु 50 साल
3. करीम आयु 48 साल
4. कदीरूदीन आयु 40 साल
5. सगीर आयु 35 साल
6. शाकिर आयु 30 साल

पुत्रान स्व. निजामुदीन जाति मुसलमान निवासी बागुर मोहल्ला ढोलीखार करौली तहसील व जिला करौली

––वादीगण

बनाम

1. खुर्शीद अहमद पुत्र कमरूदीन आयु 50 साल जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार करौली तहसील व जिला करौली (राज0)
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील करौली
3. सब रजिस्ट्रार उप पंजीयक करौली तहसील व जिला करौली (राज0)

––प्रतिवादीगण

दावा 88, 188 आर0टी0एक्ट दावा बावत् अधिकारों की घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

–::निर्णय::– दिनांक:– 6/10/23

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीगण के दादा जाबुदीन पुत्र नौरंग मुसलमान निवासी बागुर मोहल्ला करौली के स्थायी निवासी हैं। जाबुदीन की पुश्तैनी आराजी खसरा नम्बर 2606, 2607, 2608, 2609, 2611 किस्म बारानी अव्वल कुल किता 5 कुल रकवा 4 बीघा 11 विस्वा वांके मासलपुर गेट बाहर करौली में स्थित है जिसकी लगान रकम जाबूदीन जमा कराता हरा है जाबूदीन की मृत्यु के बाद जाबूदीन के पुत्रों क्रमशः निजामुदीन, जमालुदीन, उर्फ धम्मल, समसुदीन, शरफुदीन, शकरूदीन पुत्रान जाबुदीन, नन्नी पुत्री जाबुदीन के हक में नामांतरण संख्या 1520 दिनांक 19.03.2009 को स्वीकार कर खोला गया और जाबुदीन की उक्त पुश्तैनी जायदाद पर जाबुदीन के पुत्र पुत्रियां हिस्सा बराबर 1/6 पर प्रत्येक काबिज काश्त हुये हम वादीगण जाबुदीन के पुत्र निजामुदीन के पुत्रगण है। निजामुदीन की मुत्यु हो चुकी है। उक्त आराजी के हिस्सा 1/6 के मुताबिक उक्त आराजी पर हम वादीगण पिता निजामुदीन व दादा जाबुदीन के जीवनकाल के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं व लगान अदा करते चले आ रहे हैं। वादीगण का आज तक लगातार उक्त आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

काश्त हैं। प्रतिवादी नं.1 अत्यन्त चालाक किस्म का व्यक्ति हैं। वादीगण के पिता अत्यंत बुजुर्ग व जईफुल उम्र रहे हैं जिनको आंखों से नहीं दिखता था व कानों से नहीं सुनते थे। दिनांक 26.08.2013 को वादीगण के पिता को धोखा देकर छल कपट, बेईमानी पूर्ण तरीके से पेंशन बनवाने के बहाने 80 वर्ष की आयु में फर्जी तरीके से बिना प्रतिफल राशि दिये व बिना हम वादीगण को बताये प्रतिवाद नं.1 ने अपने हक में हमारे पिता निजामुदीन के हिस्से 1/6 की रजिस्ट्री उप पंजीयक तहसीलदार तहसील करौली से अपने हक में तस्दीक करवा ली व दिनांक 05.10.2023 को उक्त आराजी पर आकर प्रतिवादी नं.1 ने हम वादीगण से कहा कि इस जमीन की रजिस्ट्री मैंने तुम्हारे पिता से पेंशन कराने के बहाने धोखा देकर मेरे हक में करा ली है। अब इस जमीन पर मैं काश्तकारी करूंगा। इस पर हमने जमाबंदी व रजिस्ट्री की नकल प्राप्त कर प्रतिवादी नं. 1 से उसकी फर्जकारी व रजिस्ट्री के बारे में कहा व हम वादीगण ने प्रतिवादी से उक्त आराजी की रजिस्ट्री को कैंसिल कराने व खातेदारी हमारे नाम कराने का कहा तो प्रतिवादी हम वादीगण के नाम कराने से इन्कार हो गया व जबरन लठ्ठ व ताकत के बल पर प्रतिवादी हम वादीगण की कब्जे काश्त की पुश्तैनी जायदाद पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो गया व कहने लगा कि उक्त आराजी को मैं उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर किसी दूसरे अजनबी व्यक्ति को 10 दिन में अंदर–अंदर विक्रय कर दूंगा। उक्त आराजी हम वादीगण के दादा की खातेदारी की रही है जो पुश्तैनी आराजी है जिसके विक्रय करने का हम वादीगण के पिता को व प्रतिवादी नं.1 को खरीदने का कोई हक अधिकार नहीं था प्रतिवादी अजनबी व्यक्ति/स्ट्रेन्जर पर्सन है व प्रतिवादी नं.1 को उक्त पुश्तैनी आराजी को छलपूर्वक पिता की पेंशन कराने के बहाने अपने हक में रजिस्ट्री कराने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी नं.1 व वादीगण के पिता इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उक्त आराजी हम वादीगण के दादा जाबुदीन की है जो पुश्तैनी आराजी है व प्रतिवादी नं.1 ने हम वादीगण से छिपाते हुये उक्त आराजी की रजिस्ट्री हमारे पिता निजामुदीन से छल करके, धोखा देकर कराई है जबकि उक्त आराजी हिस्सा 1/6 के हम वादीगण वास्तविक मालिक खातेदारी, दावेदार, काश्तकार हैं व उक्त आराजी पर हमारे दादा व पिता के जमाने से ही हम काबिज काश्त चले आ रहे हैं व समय–समय पर दोनों फसलें सरसों, गेंहू व बाजरा उक्त आराजी में हम वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त वयनामा दिनांक 26.08.2013 शुरू से ही शून्यकरणीय है जो निरस्त होने योग्य हैं। उक्त आराजी पचासों वर्षों से वादीगण के दादा व पिता के समय से ही हम वादीगण के कब्जे काश्त में शांतिपूर्वक तरीके से चली आ रही है तथा इस पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है व आज तक वादीगण ही काबिज काश्त हैं औश्र समय–समय पर दोनों फसलें गेहूं, सरसों, बाजरा की फसल काश्त करते चले आ रहे हे। औश्र प्रतिवादी कभी काबिज काश्त नहीं रहा व उसका कोई हक व अधिकार नहीं हैं। विनाय मुखास्मत दिनांक 05.120.2023 को प्रतिवादी नं.1 ने उक्त आराजी पर आकर हम वादीगण से कहा कि उक्तक आराजी खसरा नम्बर 2606, 2607, 2608, 2609, 2611 हिस्सा 1/6 की रजिस्ट्री मैंने तुम्हारे पिता से पेंशन कराने के बाने छल करके, धोखा, देकर अपने नाम करा ली है। अब मैं इस पर फसल काश्त करूंगा। इा पर हमने जमाबंदी व रजिस्ट्री की नकल दिनांक 18.10.2023 को प्राप्त कर प्रतिवादी नं.1 से उसकी फर्जकारी के बारे में कहा व हम वादीगण ने उक्त आराजी की रजिस्ट्री कैंकसल कराने व खातेदारी हमारे नाम कराने की कहा तो प्रतिवादी उक्त आराजी की रजिस्ट्री कैंसिल कराने व खातेदारी हमारे नाम कराने की कहा तो प्रतिवादी उक्त आराजी की रजिस्ट्री कैन्सिल कराने व खातेदारी हमारे नाम कराने से इन्कार हो गया व स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं उक्त आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

जबरन लठ्ठ व ताकत के बल पर जबरन कब्जा करूंगा व कहने लगा कि उक्त आराजी को जल्दी ही किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर दूंगा। प्रतिवादी नं.1 द्वारा उक्त आराजी जो हमारे दादा की खातेदारी, कब्जे काश्त की पुश्तैनी है जो हमारे कब्जे काश्त की पुश्तैनी है उस पर जबरन लठ्ठ व ताकत के बल पर कब्जा करने की धमकी देने व उक्त आराजी को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को 10 दिन में जल्दी ही विक्रय कर देने की धमकी देने व उक्त फर्जी रजिस्ट्री को कैंसिल कराने व हमारे नाम करने से इन्कार करने पर पैदा हुई है। उक्त आराजी हम वादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त की है जिसे प्रतिवादी नं.1 ने छल, कपट कर बेईमानीपूर्ण तरीके से फर्जकारी करते हुये हम वादीगण के पिता जो 80 वर्षीय जईफुल उम्र थे जिन्हे आंखों से कम दिखता था व कानों से कम सुनते थे जो हस्ताक्षर करते थे परन्तु प्रतिवादी ने बेईमानीपूर्ण तरीके से रजिस्ट्री पर अंगूठा निशानी लगवा रखी है यदि प्रतिवादी नं.1 उक्त आराजी पर लठ्ठ व ताकत के बल पर कब्जा करने व उक्त आराजी को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने में सफल हो गया तो वादीगण को भारी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 2606, 2607, 2608, 2609, 2611 कुल किता 5 कुल रकवा 4 बीघा 11 विस्वा हिस्सा 1/6 जो हम वादीगण की पुश्तैनी दादा जाबूदीन के नाम है जिसकी रजिस्ट्री वयनामा प्रतिवादी नं.1 ने बेईमानी पूर्ण तरीके से हमारे पिता निजामुदीन की पेंशन बनवाने के बहाने छल, कपट करते हुये धोखा देकर अपने नाम करा ली है उसे शुरू से ही शून्यकरणीय होने के कारण शून्य घोषित करते हुये हमारे हिस्से की उक्त आराजीयात हिस्सा 1/6 को हम वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराते हुए उक्त आराजी का काबिज काश्तकार घोषित कराते हुये उक्त आराजी की खतेदारी हम वादीगण के नाम दर्ज कराये जाने के आदेश बख्शें व प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी नं.1 उक्त आराजी पर लठ्ठ व ताकत के बल पर जबरन कब्जा नहीं करे यना ही किसी अन्य से कराये व उक्त आराजी की रजिस्ट्री, वयनामा किसी अन्य व्यक्ति के हक में तस्दीक नहीं कराये व प्रतिवादी नं.2 जो लैण्ड होल्डर तहसीलदार है व प्रतिवादी नं.3 सब रजिस्ट्रार पंजीयन तहसीलदार करौली है जिसे आदेशित फरमाया जावे कि वह उक्त आराजी की प्रतिवादी नं.1 द्वारा पेश रजिस्ट्री वयनामा को किसी भी व्यक्ति के हक में तस्दीक/पंजीयन नहीं करें। अंत में दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नंबर 2 व 3 द्वारा कोई जबाव दावा प्रस्तुत नहीं किया।

साक्ष्य वादीगण एकपक्षीय ली गई। वादीगण ने अपनी साक्ष्य में वादी पीडब्ल्यू–1 व गवाह पीडब्ल्यू–2 इकरामुद्दीन व पीडब्ल्यू–3 कद्रूदीन व पीडब्ल्यू–4 कुतुबुद्दीन व पीडब्ल्यू–5 शाकिर के सशपथ बयान पेश किये एवं दस्तावेज नकल सेटलमेंट खतौनी संवत 2015, जमाबंदी संवत 2064–67, जमाबंदी संवत 2068–71 एवं वयनामा दिनांक 26.08.2013 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वकील वादी का बहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा जाबुददीन के समय की पुश्तैनी भूमि में जाबुददीन की मृत्यु के वाद इसके पुत्रगण निजामुददीन, जमालुददीन उर्फ धम्मल सरफुदृदीन, शकरूददीन एवं पुत्री नन्नी के हक में नामातकरण संख्या 1520 से खातेदारी दर्ज की गई है। जिसमें जाबुददीन के पुत्र/पुत्रियांन का 1/6–1/6 है। वादीगण के पिता को धोखा देकर दिनांक 26.08.2013 को कपट पूर्ण तरीके से पेंशन बनाने के बहाने फर्जी तरीके से बिना प्रतिफल राशि दिये व बिना हम वादीगण को बताये प्रतिवादी नंबर 1 ने हमारे पिता के 1/6 हिस्से की रजिस्ट्री अपने हक में करा ली। दिनांक 5.10.23 को प्रतिवादी नंबर 1 ने हम वादीगण से कहा कि जमीन की रजिस्ट्री मैंने तुम्हारे पिता करा ली है। अब इस जमीन को मैं काश्त करूंगा। तब हम वादीगण को उक्त विक्रय पत्र की जानकारी हुई और तब हम वादीगण ने प्रतिवादी नंबर 1 से रजिस्ट्री केंसिल कराने की कहा तो प्रतिवादी नंबर 1 साफ इंकार हो गया और भूमि को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने व जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। प्रतिवादी नंबर 1 की इस अवैध कार्यवाही से वादीगण को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है। हम वादीगण वयनामा को शून्य घोषित कराने एवं प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार है। दावा वादीगण डिक्री किया जावे।

बहस का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा जाबुद्दीन पिता नौरंग के समय की वादीगण ने होना बताया है। जिसके संबंध में वादीगण ने जमाबंदी संवत 2064–67 पेश की है जिसमें भूमि वादीगण के दादा जाबुद्दीन के खातेदारी में दर्ज है। जाबुद्दीन के मरने के बाद नामांतकरण संख्या 1520 दिनांक 29.03.2009 से भूमि वादीगण के पिता निजामुददीन व जाबुद्दीन के पुत्रगण जमालुद्दीन उर्फ धम्मल, शमसुद्दीन, शफरूद्दीन, नन्नी के हक में खातेदारी इन्द्राज हुए है। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा निजामुददीन से दिनांक 26.08.13 को 1/6 हिस्से का वयनामा रजिस्टर्ड कराया गया है। जिसका वादीगण ने फर्जी व कूटरचित होना अपने वादपत्र में एवं साक्ष्य में बताया है और वयनामा को शून्य घोषित वादीगण कराना चाहते है। इस संबंध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को वयनामा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। दावा वादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/10/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली